

अत्यावश्यक
(COVID-19)

राजस्थान सरकार
उद्योग विभाग

क्रमांक:-कोविड19 / Spl./Ind./

दिनांक:- 31.03.2020

1. प्रबन्ध निदेशक रीको
2. आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन
तिलक मार्ग, जयपुर

विषय:- राज्य में लॉकडाउन की अवधि में अत्यावश्यक प्रकृति के उद्योग एवं गतिविधियों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के गृह विभाग के आदेशों के अनुसरण में छूट प्रदान करने बाबत दिये गये आदेश/दिशा निर्देशों के संबंध में ।

1. जैसा कि आपको विदित है पूर्व में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 की धारा 2 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये समस्त राज्य में दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक पूर्णत बंद (Lock Down) घोषित किया गया था। इसके उपरान्त भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की शक्तियों को प्रयोग करते हुये आदेश दिनांक 24.03.2020 के द्वारा सम्पूर्ण देश में दिनांक 14.04.2020 तक पूर्णत बंद (Lock Down) लागू किया गया है परन्तु आवश्यक प्रकृति की कतिपय औद्योगिक इकाईयों को उक्त लाकडाउन की अवधि में अपनी गतिविधि जारी रखने की अनुमति प्रदान की गयी। भारत सरकार के आदेश जारी होने के अनुक्रम में राज्य के गृह विभाग द्वारा दिनांक 26.03.2020 को आदेश जारी किया गया था जिसमें बिन्दु संख्या A-5 में सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान/वर्कशाप बंद करने के निर्देश दिये गये लेकिन अत्यावश्यक प्रकृति के उद्योगों/गतिविधियों को छूट प्रदान की गयी।
2. चूंकि राज्य में उद्योगों से संबंधित सभी कार्य के लिये प्रशासनिक विभाग उद्योग विभाग गठित है, इसलिये सभी उद्यमियों/औद्योगिक गुप की सुविधा एवं राज्य में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति की दृष्टि से उद्योग विभाग द्वारा

आयुक्त उद्योग एवं प्रबन्ध निदेशक रीको को निर्देशित किया गया कि वह जिला स्तरीय प्रकरणों में संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा इकाई प्रभारी रीको लि० को इकाई संचालन के लिये दिशा निर्देश प्रदान करें तथा अनुमति देने के लिये अधिकृत करें। जिन औद्योगिक गुप की एक से अधिक जिले में उत्पादन इकाई हैं, उन्हें अनुमति आयुक्तालय उद्योग अथवा रीको मुख्यालय से प्रदान की जाये। संक्रमण अधिक फैलने की संभावना को देखते हुये प्रथम चरण में सिर्फ आटा, बेसन, दाल मिलें एवं खाद्य तेल इकाईयों को ही अनुमति देने के निर्देश दिये गये थे।

3. प्रबन्ध निदेशक रीको द्वारा समस्त इकाई प्रभारी रीको एवं आयुक्त उद्योग द्वारा सभी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उपरोक्त दिशा निर्देश दिनांक 27.03.2020 को जारी किये गये। इसके अतिरिक्त उपरोक्त औद्योगिक इकाईयों/ गतिविधियों के लिये श्रमिकों को उनके निवास से कार्यस्थल तक आने व जाने के लिये पास एवं वाहन की अनुमति दिये जाने के लिये सभी फील्ड आफिसर्स को निर्देशित किया गया और औद्योगिक इकाईयों द्वारा किये जाने वाले आवेदन एवं दी जाने वाली अनुमति का प्रारूप भी विभाग स्तर पर अनुमोदित किया गया ताकि पूरे राज्य में एकरूपता बनी रहे।
4. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पूर्व आदेश की निरन्तरता में अनुगामी आदेश दिनांक 25.03.2020 व 27.03.2020 के द्वारा पूर्व में प्रदान की गयी अत्यावश्यक प्रकृति के उद्योगों/ गतिविधियों को दी गयी छूट की श्रेणी में कुछ और श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों/ सेवाओं को जोडा (Addendum) गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न औद्योगिक संगठनों/ इकाईयों की मांग भी आ रही थी उन्हें केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदत्त छूट के आधार पर उनके उद्योग संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाये एवं वह श्रमिकों के स्वास्थ्य, भरण पोषण एवं उनके रहने आदि की सुविधा प्रदान करने के लिये जिम्मेवारी लेते हैं।
5. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग विभाग द्वारा यह उचित समझा गया कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में आदेश जारी किया जाये ताकि सभी उद्यमियों एवं फील्ड आफिसर्स को कोई भ्रान्ति उत्पन्न ना हो। उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 27.03.2020 के दिशा निर्देशों एवं जारी प्रारूपों में आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 30.03.2020 को स्पष्ट आदेश जारी किये गये जिसमें गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.03.2020, अनुगामी आदेश दिनांक 25.03.2020 व 27.03.2020 के द्वारा अत्यावश्यक प्रकृति के उद्योगों/ गतिविधियों को प्रदान की गयी छूट वाले सभी

उद्योगों/गतिविधियों को उत्पादन/संचालित करने की जिला स्तरीय प्रकरण में संबंधित महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/इकाई प्रभारी रीको द्वारा जिला कलेक्टर की अनुमति के अध्याधीन कतिपय शर्तों पर प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया है। किसी उद्योग का उत्पादन राज्य में एक से अधिक जिले में होने पर वांछित अनुमति आयुक्तालय उद्योग/रीको मुख्यालय से प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये।

6. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावना के अनुसार उद्योगों में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक को लाकडाउन की अवधि में बिना किसी कटौती के मजदूरी/वेतन माह के अंत तक मिल जाये एवं उन्हें नौकरी से निकाला ना जाये, इस हेतु उद्योग विभाग द्वारा एक एडवाइजरी भी दिनांक 29.03.2020 को जारी कर सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस कमिश्नर को कहा गया है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को यह सलाह दें कि उनके यहां कार्यरत श्रमिकों/कार्मिकों को समय पर बिना किसी कटौती के मजदूरी/वेतन का भुगतान करें। ऐसा भुगतान यथासंभव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम के माध्यम से अथवा आनलाइन मोड से किया जाये। काफी इकाईयों में अभी तक भुगतान का आनलाइन सिस्टम को नहीं अपनाया गया है अतः उनकी सुविधा के लिये उनके संबंधित स्टाफ को वेतन भुगतान के लिये समयबद्ध अवधि का पास भी जारी करने का अनुरोध किया गया है।
7. इसी प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा यह भी निर्देश प्रदान किये हैं कि लाकडाउन की अवधि में प्रवासी श्रमिकों (Migrant Labour) को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोका जाये और उन्हें उसी स्थान पर यथा संभव बनाये गये शैल्टर होम/शिविरों में भिजवाया जाये। ऐसे शिविरों में उनके रहने, खाने, सुरक्षा एवं दैनिक जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था के लिये गृह विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किया जा रहा है जिसकी प्रति उपलब्ध करा दी जायेगी। सभी फील्ड आफिसर्स उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही अवश्य कर प्रभारी अधिकारियों को सूचित करें।
8. उपरोक्त आदेश जारी करने के उपरान्त भी विभिन्न स्थानों से जारी की जाने वाली अनुमतियों के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। विभिन्न रेफरेंसों के आधार पर स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:—
 - (i) गृह मंत्रालय द्वारा लाकडाउन से मुक्त औद्योगिक इकाईयों/गतिविधियों को आवेदन रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होने पर संबंधित रीको

अधिकारी को तथा रीको औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थित होने पर संबंधित महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को आनलाइन करना होगा।


- (ii) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि वह अत्यावश्यक श्रेणी के उद्योग/गतिविधि में आता है और तदोपरान्त अपनी अनुशंषा सहित संबंधित जिला कलेक्टर को अग्रेषित करेंगे। अग्रेषित करते ही जिला कलेक्टर कार्यालय में संबंधित प्रभारी अधिकारी अथवा जिला कलेक्टर से दूरभाष पर सम्पर्क कर उनकी अनुमति/सहमति प्राप्त करेंगे और यदि किसी इकाई के संचालन अनुमति प्रदान किये जाने पर कोई आपत्ति कार्यालय जिला कलेक्टर द्वारा व्यक्त की जाती है तो उसका निराकरण करायेगें। यदि जिला कलेक्टर द्वारा अनुमति दिये जाने से इंकार किया जाता है तो उसका आवेदन निरस्त कर उसकी सूचना संबंधित आवेदक को फोन/मेल पर भिजवायी जायेगी।
- (iii) यदि किसी ऐसी इकाई द्वारा आवेदन किया जाता है जिसकी प्रकृति निरन्तर उत्पादन की है, तो ऐसी अनुमति दिये जाने से पूर्व सर्वप्रथम उसके उत्पाद की प्रकृति की जाँच अपने स्तर पर या संबंधित विभाग (फार्मा कंपनी होने पर ड्रग इंस्पेक्टर, खनन इकाई होने पर खनिज विभाग आदि) से मशविरा कर अपनी अनुशंषा करेंगे। यदि फील्ड आफिसर्स को अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करना कठिन हो कि निरन्तर उत्पादन बनाये रखना आवश्यक है अथवा नहीं तो जिला स्तरीय प्रकरणों में संबंधित जिला उद्योग केन्द्र का महाप्रबन्धक एवं स्थानीय रीको अधिकारी की संयुक्त कमेटी इस का निर्णय कर सकेगी और अपनी अनुशंषा जिला कलेक्टर को भिजवा सकेगी।
- (iv) जिन औद्योगिक इकाईयों/ग्रुप द्वारा सीधे आयुक्त उद्योग, प्रबन्ध निदेशक रीको या उद्योग विभाग को इकाई संचालन हेतु आवेदन किया है, उन आवेदनों की जाँच की जाकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन प्रकरणों में उद्योग विभाग/रीको के जिला स्तरीय स्तर के अधिकारी सक्षम हैं, उन आवेदनों को संबंधित फील्ड आफिसर्स को भिजवाया जायेगा कि वह नियमानुसार उनका निस्तारण करें। जिन प्रकरणों में मुख्यालय या राज्य सरकार के स्तर पर अनुमति प्रदान की जानी है उनको प्रोसेस कर सक्षम स्तर से अनुमति ली जाकर संबंधित आवेदक को सूचित किया जायेगा और उसकी प्रति संबंधित जिला कलेक्टर एवं महाप्रबन्धक/इकाई प्रभारी, क्षेत्राधिकार के अनुसार, पृष्ठांकित की जायेगी। जिन प्रकरणों में अनुशंषा प्राप्त नहीं है अथवा

कुछ जानकारी वांछनीय है उन प्रकरणों में मेल के माध्यम से वांछित सूचना प्राप्त कर पुनः प्रोसेस किये जायेंगे और अनुमति प्रदान की जायेगी।

- (v) जो भी अनुमति फील्ड स्तर पर जारी की जायें उसका विवरण प्रत्येक दिन तैयार कर दूसरे दिन 11 बजे प्रातः तक आयुक्तालय उद्योग/रीको मुख्यालय में संबंधित अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा किसी प्रकरण में अस्पष्टता होने पर अपने उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर ही कार्यवाही करें।
- (vi) राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशानुसार औद्योगिक इकाईयों के मालवाहक वाहनों के पास परिवहन विभाग द्वारा तथा उद्यमी व श्रमिकों के पास संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।
- (vii) इस समस्त प्रक्रिया में जहां तक संभव हो न्यूनतम स्टाफ का उपयोग कार्यालय हेतु किया जाये तथा Work from Home के द्वारा कार्य निष्पादन किया जाये। साथ ही अनुमति जारी करते समय एवं कार्यालय में भी निर्धारित दूरी बनाकर सोशियल डिस्टेंस कन्सेप्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये एवं सम्पर्क रहित (Contactless) आदान प्रदान के प्रोटोकाल की भी पालना की जाये।

उपरोक्त दिशा निर्देश/स्पष्टीकरण को संबंधित फील्ड अधिकारियों को प्रसारित कराया जाकर पालना सुनिश्चित की जाये।

भवदीय



(डा० सुबोध अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

परिशिष्ट:-

1. भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी लाकडाउन की अवधि में छूट प्राप्त अत्यावश्यक श्रेणी के उद्योगों/गतिविधियों की आदेश दिनांक 24.03.2020, 25.03.2020 एवं 27.03.2020 में वर्णित समेकित सूची।
2. इस विभाग के द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.03.2020 की प्रति
3. आयुक्तालय, उद्योग/रीको मुख्यालय एवं फील्ड लेवल पर दी जाने वाली अनुमति के आवेदन पत्र एवं जारी की जाने वाली अनुमति का प्रारूप
4. उक्त इकाईयों में श्रमिकों को दिये जाने वाले पास के आवेदन एवं अनुमति का प्रारूप।

प्रतिलिपि निम्न को:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्री गण।
5. उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. प्रबन्ध निदेशक रीको/आयुक्त उद्योग
10. संबंधित समस्त अधिकारीगण
11. संबंधित पत्रावली।


31/3/2020
(एस0एस0शाह)
संयुक्त निदेशक

Consolidated Guidelines on the measures to be taken by Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities for containment of COVID-19 Epidemic in the Country, as notified by Ministry of Home Affairs on 24.03.2020 and further modified on 25.03.2020 and 27.03.2020.

1. Offices of the Government of India, its Autonomous/ Subordinate Offices and Public Corporations shall remain closed.

Exceptions:

- a. Defence, central armed police forces.
- b. Treasury (including, Pay & Accounts Offices, Financial Advisers and field offices of the Controller General of Accounts, **with bare minimum staff**),
- c. Public utilities (including petroleum, CNG, LPG, PNG), power generation and transmission units, post offices.
- d. Disaster management and Early Warning Agencies
- e. National Informatics Centre.
- f. Customs clearance at ports/airports/land border, GSTN; and MCA 21 Registry **with bare minimum staff**.
- g. Reserve Bank of India and RBI regulated financial markets and entities like NPCI, CCIL, payment system operators and standalone primary dealers **with bare minimum staff**.

2. Offices of the State/ Union Territory Governments, their Autonomous Bodies, Corporations, etc. shall remain closed.

Exceptions:

- a. Police, home guards, civil defence, fire and emergency services, disaster management, and prisons.
- b. District administration and Treasury (including field offices of the Accountant General **with bare minimum staff**)
- c. Electricity, water, sanitation.
- d. Municipal bodies—Only staff required for essential services like sanitation, personnel related to water supply etc.
- e. Resident Commissioner of States, in New Delhi **with bare minimum staff**, for coordinating Covid-19 related activities and internal kitchens operations.
- f. Forest offices :Staff/ workers required to operate and maintain zoo, nurseries, wildlife, firefighting in forests, watering plantations, patrolling and their necessary transport movement.
- g. Social Welfare Department, **with bare minimum staff**, for operations of Homes for children/ disables/ senior citizens/ destitute/ women /widows; Observation homes; pensions.
- h. Agencies engaged in procurement of agriculture products, including MSP operations.

- i. 'Mandis' operated by the Agriculture Produce Market Committee or as notified by the State Government.

The above offices (Sl. No 1 & 2) should work with minimum number of employees. All other offices may continue to work-from-home only.

3. Hospitals, Veterinary Hospitals and all related medical establishments, including their manufacturing and distribution units, both in public and private sector, such as dispensaries, chemist, Pharmacies (including Jan Aushadhi Kendra) and medical equipment shops, laboratories, Pharmaceutical research labs, clinics, nursing homes, ambulance etc. will continue to remain functional. The transportation for all medical personnel, nurses, para-medical staff, other hospital support services be permitted.

4. Commercial and private establishments shall be closed down.

Exceptions:

- a. Shops, including ration shops (under PDS), dealing with food, groceries, fruits and vegetables, dairy and milk booths, meat and fish, animal fodder, fertilizers, seeds and pesticides. However, district authorities may encourage and facilitate home delivery to minimize the movement of individuals outside their homes.
- b. Banks, insurance offices, and ATMs including IT vendors for banking operations; Banking Correspondent and ATM operation and cash management agencies.
- c. Print and electronic media.
- d. Telecommunications, internet services, broadcasting and cable services. IT and IT enabled Services only (for essential services) and as far as possible to work from home.
- e. Delivery of all essential goods including food, pharmaceuticals, medical equipment through E-commerce.
- f. Petrol pumps, LPG, Petroleum and gas retail and storage outlets.
- g. Power generation, transmission and distribution units and services.
- h. Capital and debt market services as notified by the Securities and Exchange Board of India.
- i. Cold storage and warehousing services.
- j. Private security services.
- k. Data and call centers **for Government activities only**.
- l. Farming operations by farmers and farm workers in the field.
- m. 'Custom Hiring Centres (CHC)' related to farm machinery.

All other establishments may work-from-home only.

5. Industrial Establishments will remain closed.

Exceptions:

- a. Manufacturing units of essential goods, including drugs, pharmaceutical, medical devices, their raw materials & intermediates.
 - b. Production units, which require continuous process, after obtaining required permission from the State Government.
 - c. Coal and mineral production, transportation, supply of explosives and activities incidental to mining operations.
 - d. Manufacturing units of packaging material for food items, drugs, pharmaceutical and medical devices.
 - e. Manufacturing and packaging units of Fertilizers, Pesticides and Seeds
6. All transport services – air, rail, roadways – will remain suspended.
- Exceptions:
- a. Transportation for essential goods only.
 - b. Fire, law and order and emergency services.
 - c. Operations of Railways, Airports and Seaports for cargo movement, relief and evacuation and their related operational organisations.
 - d. Inter-state movement of goods/ cargo for inland and exports.
 - e. Cross land border movement of essential goods including petroleum products and LPG, food products, medical supplies.
 - f. Intra and inter-state movement of harvesting and sowing related machines like combined harvester and other agriculture/horticulture implements.
7. Hospitality Services to remain suspended
- Exceptions:
- a. Hotels, homestays, lodges and motels, which are accommodating tourists and persons stranded due to lockdown, medical and emergency staff, air and sea crew.
 - b. Establishments used/ earmarked for quarantine facilities.
8. All educational, training, research, coaching institutions etc. shall remain closed.
9. All places of worship shall be closed for public. No religious congregations will be permitted, without any exception.
10. All social/ political/ sports/ entertainment/ academic/ cultural/ religious functions / gatherings shall be barred.
11. In case of funerals, congregation of not more than twenty persons will be permitted.
12. All persons who have arrived into India after 15.02.2020, and all such persons who have been directed by health care personnel to remain under strict home/ institutional quarantine for a period as decided by local Health Authorities, failing which they will be liable to legal action under Sec. 188 of the IPC.

13. Wherever exceptions to above containment measures have been allowed, the organisations/employers must ensure necessary precautions against COVID-19 virus, as well as social distance measures, as advised by the Health Department from time to time.
14. In order to implement these containment measures, the District Magistrate will deploy Executive Magistrates as Incident Commanders in the respective local jurisdictions. The Incident Commander will be responsible for the overall implementation of these measures in their respective jurisdictions. All other line department officials in the specified area will work under the directions of such incident commander. The Incident Commander will issue passes for enabling essential movements as explained.
15. All enforcing authorities to note that these strict restrictions fundamentally relate to movement of people, but not to that of essential goods.
16. The Incident Commanders will in particular ensure that all efforts for mobilization of resources, workers and material for augmentation and expansion of hospital infrastructure shall continue without any hindrance.
17. Any person violating these containment measures will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005, besides legal action under Sec. 188 of the IPC.

राजस्थान सरकार
उद्योग विभाग

क्रमांक-एफ.1 / COVID-19 / 2020

दिनांक 26.03.2020

आदेश

राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) से उत्पन्न स्थिति के अन्तर्गत लागू "लॉक डाऊन" के दौरान गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 40-3/2020-D दिनांक 24.03.2020 के बिन्दु संख्या 5(b) के अनुसार "Production units, which require continuous process, after obtaining required permission from the State Government" एवं गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 22.03.2020 के बिन्दु संख्या 3 (3 एवं 4) की अनुपालना सुनिश्चित करने एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 26.03.2020 के बिन्दु संख्या A-5(b) एवं C-3 के क्रम राज्य में ऐसी इकाईयां जिनका उत्पादन Continuous Nature का है एवं जिनको तत्काल बन्द करना सम्भव नहीं है, उनको निरन्तर चालु रखने एवं उनके वाहनों एवं श्रमिकों के आवागमन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को स्वीकृति पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है। इस स्वीकृति पत्र की एक प्रति आवश्यक रूप से सम्बन्धित जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, प्रबन्ध निदेशक, रीको एवं आयुक्त, उद्योग विभाग को अग्रेषित की जायेगी।

ऐसे उद्योग जिनका एक से अधिक जिलों में निर्माण कार्य हो रहा है, उनके अनुमति पत्र श्री अविन्द्र लढ्ढा, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं विशिष्ट शासन सचिव, सीएसआर, राजस्थान को अधिकृत किया जाता है।


(डॉ. सुबोध अग्रवाल)
26/03/2020
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, रीको उद्योग भवन, जयपुर।
5. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, समस्त।
7. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त।
8. श्री अविन्द्र लढ्ढा, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग।
9. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।


26/03/2020
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग

राजस्थान सरकार
उद्योग विभाग

क्रमांक-एफ.1/COVID-19/2020

दिनांक 26.03.2020

आदेश


कोरोना वायरस (COVID-19) को वैश्विक महामारी घोषित किये जाने की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 जयपुर, दिनांक 22.03.2020 से सम्पूर्ण राज्य में "लॉक डाउन" घोषित किया गया है। उक्त "लॉक डाउन" के क्रम में दिनांक 25.03.2020 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णयों एवं गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ.33(2)होम/ग्रुप-9/2019 दिनांक 26.03.2020 द्वारा आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण एवं आपूर्ति करने वाली औद्योगिक इकाइयों को "लॉक डाउन" से मुक्त रखा गया है।

"लॉक डाउन" से मुक्त रखी गई आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित सामग्री को लाने-ले जाने एवं उक्त सामग्री की डोर-टू-डोर/होम डिलिवरी निर्बाध रूप से करने हेतु वाणिज्यिक/निजी वाहनों एवं कार्मिकों को सप्लाई चेन मेंटेन रखने के उद्देश्य से आवश्यक पास/परमिट/अनुमति पत्र जारी करने हेतु एतद् द्वारा निम्नानुसार अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:

क्र. सं.	विवरण	परिचालन	प्राधिकृत अधिकारी
1.	रीको औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित इकाइयों के लिए	एक ही जिले में	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (संबंधित)
2.	रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयां	एक ही जिले में	रीको का क्षेत्रीय इकाई प्रमुख
3.	रीको औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित इकाइयों के लिए	एक से अधिक जिलों में	श्री अविन्द्र लढ्ढा अतिरिक्त निदेशक, उद्योग, कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर मोबाईल नं. 9829368001
4.	रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयां	एक से अधिक जिलों में	प्रबन्ध निदेशक, रीको अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, रीको मुख्यालय, जयपुर


उपरोक्त प्राधिकृत अधिकारी जारी किये गये अनुमति पत्रों का ऑनलाइन विवरण सम्बन्धित जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, रीको कार्यालय एवं कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।

उक्त निर्देशों की क्रियान्विति करते समय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी एडवाजरी की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।


(डॉ. सुबोध अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. प्रबन्ध निदेशक, रीको, उद्योग भवन, जयपुर।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त।
6. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त।
7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
8. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको क्षेत्रीय इकाई, समस्त।


26/03/2020
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग

अत्यावश्यक
(COVID-19)

राजस्थान सरकार
उद्योग विभाग

क्रमांक:- कोविड19 / Spl./Ind./

दिनांक:- 30.03.2020

आदेश

1. कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 की धारा 2 की शक्तियों को प्रयुक्त करते हुये समस्त राज्य में दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक पूर्णत बंद (Lock Down) घोषित किया गया था। इसके उपरान्त भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की शक्तियों को प्रयुक्त करते हुये आदेश दिनांक 24.03.2020 के द्वारा सम्पूर्ण देश में दिनांक 14.04.2020 तक पूर्णत बंद (Lock Down) लागू किया गया है परन्तु आवश्यक प्रकृति की कतिपय औद्योगिक इकाईयों को उक्त लाकडाउन की अवधि में अपनी गतिविधि जारी रखने की अनुमति प्रदान की गयी। राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा भारत सरकार के आदेशों के अनुक्रम में दिनांक 26.03.2020 को आदेश जारी किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पूर्व आदेश की निरन्तरता में अनुगामी आदेश दिनांक 25.03.2020 व 27.03.2020 के द्वारा पूर्व में प्रदान की गयी छूट की श्रेणी में कुछ और श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों/सेवाओं को जोडा (Addendum) गया है।
2. उपरोक्त वर्णित लॉकडाउन की अवधि में पूर्व में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों व दिशा निर्देशों की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिनियम में निहित शक्तियों को प्रयोग करते हुये पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.03.2020 में अत्यावश्यक प्रकृति के उद्योगों/सेवाओं के संबंध में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये यह आदेशित किया जाता है कि जिन औद्योगिक इकाईयों/सेवाओं को उक्त लाकडाउन की अवधि में अपनी उत्पादन/गतिविधि जारी रखने की अनुमति भारत सरकार के गृह

SAV

मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है अथवा पश्चातवर्ती प्रक्रम पर प्रदान की जायेगी, ऐसे सभी औद्योगिक संस्थानों/सेवा प्रदाताओं को:-

- I. अपना उत्पादन प्रारम्भ करने/सेवाओं अथवा गतिविधियों को संचालित करने के लिये;
 - II. ऐसे उद्योगों/गतिविधि के संचालन में प्रयुक्त होने वाले श्रम के लिये संबंधित श्रमिकों/कार्मिकों को उनके निवास से औद्योगिक परिसर/गतिविधि स्थल तक आने जाने हेतु ;
3. आवश्यक अनुमति एक ही जिले से संबंधित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति के अध्याधीन निम्न को एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है:-

क्र० स०.	औद्योगिक इकाई की लोकेशन	प्राधिकृत अधिकारी
1.	रीको औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई स्थित होने पर	संबंधित रीको के इकाई प्रमुख/क्षेत्रीय प्रबन्धक/जिला स्तर पर नियुक्त रीको अधिकारी
2.	रीको औद्योगिक क्षेत्र से बाहर इकाई स्थित होने पर	संबंधित जिला उद्योग केन्द्र का महाप्रबन्धक

4. यदि किसी औद्योगिक ग्रुप द्वारा अपनी औद्योगिक इकाई राज्य में एक से अधिक जिले में संचालित की जाती हैं तो ऐसे प्रकरणों में अपेक्षक औद्योगिक ग्रुप द्वारा अपना आवेदन निर्धारित संलग्न प्रारूप में संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/इकाई प्रभारी, रीको, (क्षेत्राधिकार के अनुसार, जो भी हो) को प्रस्तुत किये जायेगे। संबंधित प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त प्राप्त आवेदनों को अपनी अनुशंषा एवं जिला कलेक्टर की अनुशंषाओं सहित आयुक्त उद्योग/प्रबन्ध निदेशक, रीको को अग्रेषित किये जायेगें जिन पर अंतिम निर्णय सक्षम स्तर पर लिया जायेगा।


दीप

5. उपरोक्त जारी की जाने वाली अनुमति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जायेगी:-
1. आवेदक द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी की पूर्ण पालना की जायेगी।
 2. आवेदक द्वारा उद्योग/गतिविधि संचालन हेतू न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों को औद्योगिक परिसर या इस हेतू विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में अथवा उनके निवास में रखना आवश्यक होगा।
 3. ऐसे श्रमिकों/कार्मिकों के लिये उद्योग संचालन के समय मेडिकेटेड सेनेटाईजर, साबुन, मास्क एवं अन्य वांछनीय सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 4. संबंधित औद्योगिक परिसर/स्थल को भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार पूर्णतया सेनेटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रतिदिन फ्यूमिगेशन कराया जायेगा।
 5. यदि आवेदक द्वारा ऐसे श्रमिकों को अपने औद्योगिक परिसर या इस हेतू विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में रोका जाता है तो वह उनके रूकने, सोने एवं एवं दैनिक जीवन यापन का सभी इंतजाम स्वयं के खर्चे कर किया जायेगा।
 6. आवेदक द्वारा कोविड-19 (कोरोना) वायरस संक्रमण को रोकने के लिये जारी भारत सरकार/राज्य सरकार की एडवाइजरी अनुसार अन्य सभी उपायों को अपनाया जायेगा।
 7. आवेदक द्वारा अपने औद्योगिक परिसर में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त भी एवं उनके लिये तैयार किये गये अनुमत परिसर में निर्धारित दूरी बनाकर सोशियल डिस्टेंस कन्सेप्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा एवं सम्पर्क रहित (Contactless) आदान प्रदान के प्रोटोकाल की भी पालना की जायेगी।
 8. किसी भी श्रमिक/कार्मिक को कोविड-19 (कोरोना) वायरस संक्रमण के लक्षण दिखायी देने पर अविलम्ब जिला प्रशासन/चिकित्सा विभाग को सूचित किया जायेगा।

प्राप्त


9. उपरोक्त इकाईयों में उत्पादन प्रक्रिया में लगाये जाने वाले श्रमिकों के लिये यदि प्रचलित श्रम कानूनों के तहत संबंधित प्राधिकारी से प्रत्येक पारी वार अनुमति आवश्यक हो तो, वांछित अनुमति संबंधित विभाग/प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी।
 10. श्रमिकों के आवागमन एवं माल के आवागमन के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक होने पर अनुमति संबंधित प्राधिकारी से नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
 11. यदि आवेदक द्वारा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी का उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा एवं उक्त अनुमति प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
 12. उक्त अनुमति लाकडाउन की अवधि प्रभावी रहने अथवा राज्य सरकार के आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक ही प्रभावी होगी। उक्त अनुमति को राज्य सरकार के आदेशों के अध्याधीन कभी भी प्रत्याहरित किया जा सकेगा।
6. अतः सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों, पुलिस बल, सुरक्षा में लगे हुये सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों, होमगार्ड, स्वयंसेवकों को यह आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुमति के आधार पर उद्योग संचालन/सेवा संचालन एवं श्रमिकों व कार्मिकों को अनुमत करें।

सभी संबंधित उपरोक्त आदेश की क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे।


 30/03/2020
 (डा० सुबोध अगवाल)
 अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा ।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्री गण ।
5. उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव ।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष ।
9. प्रबन्ध निदेशक रीको/आयुक्त उद्योग
10. संबंधित समस्त अधिकारीगण
11. संबंधित पत्रावली ।


(मुक्तानंद अग्रवाल)
आयुक्त, उद्योग



राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(राज्य सरकार का उपक्रम)

इकाई कार्यालय : फोन नं.

क्रमांक

दिनांक

उद्योग संचालन हेतु अस्थायी आधार पर अनुमति पत्र

औद्योगिक संचालन हेतु अनुमति पत्र
(जिला स्तरीय)

कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 की धारा 2 की शक्तियों को प्रयुक्त करते हुये समस्त राज्य में दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक पूर्णत बंद (Lock Down) घोषित किया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपने आदेश दिनांक 24.03.2020 के द्वारा सम्पूर्ण देश में लाकडाउन की अवधि दिनांक 14.04.2020 तक घोषित की है परन्तु आवश्यक प्रकृति की कतिपय औद्योगिक इकाईयों को उक्त लाकडाउन की अवधि में अपनी गतिविधि जारी रखने की अनुमति प्रदान की गयी है। उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 26.03.2020 जारी किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पूर्व आदेश की निरन्तरता में अनुगामी आदेश दिनांक 25.03.2020 व 27.03.2020 के द्वारा पूर्व में प्रदान की गयी छूट की श्रेणी में कुछ और श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों/सेवाओं को जोडा (Addendum) गया है।

गृह विभाग के आदेशों की निरन्तरता में उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.03.2020 एवं 30.03.2020 के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि ...
.....(इकाई का नाम) जो कि (उत्पादन स्थल का पता)
..... के द्वारा विनिर्माण/उत्पादन किये जाने वाला(उत्पाद का नाम) गृह मंत्रालय के उपरोक्त वर्णित आदेशों के तहत लाकडाउन से छूट प्राप्त उद्योग/गतिविधि की श्रेणी में आता है। गृह विभाग के आदेशों की अनुसरण में उक्त वर्णित औद्योगिक इकाई को

अपनी उत्पादन प्रक्रिया को लाकडाउन की अवधि में जारी रखने की अनुमति एतद् द्वारा निम्नशर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. आवेदक द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी की पूर्ण पालना की जायेगी।
2. आवेदक द्वारा उद्योग/गतिविधि संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों को औद्योगिक परिसर या इस हेतु विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में अथवा उनके निवास में रखना आवश्यक होगा।
3. ऐसे श्रमिकों/कार्मिकों के लिये उद्योग संचालन के समय मेडिकेटेड सेनेटाईजर, साबुन, मास्क एवं अन्य वांछनीय सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संबंधित औद्योगिक परिसर/स्थल को भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार पूर्णतया सेनेटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रतिदिन फ्यूमिगेशन कराया जायेगा।
5. यदि आवेदक द्वारा ऐसे श्रमिकों को अपने औद्योगिक परिसर या इस हेतु विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में रोका जाता है तो वह उनके रुकने, सोने एवं एवं दैनिक जीवन यापन का सभी इंतजाम स्वयं के खर्च कर किया जायेगा।
6. आवेदक द्वारा कोविड-19 (कोरोना) वायरस संक्रमण को रोकने के लिये जारी भारत सरकार/राज्य सरकार की एडवाइजरी अनुसार अन्य सभी उपायों को अपनाया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा अपने औद्योगिक परिसर में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त भी एवं उनके लिये तैयार किये गये अनुमत परिसर में निर्धारित दूरी बनाकर सोशियल डिस्टेंस कन्सेप्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा एवं सम्पर्क रहित (Contactless) आदान प्रदान के प्रोटोकाल की भी पालना की जायेगी।
8. किसी भी श्रमिक/कार्मिक को कोविड-19 (कोरोना) वायरस संक्रमण के लक्षण दिखायी देने पर अविलम्ब जिला प्रशासन/चिकित्सा विभाग को सूचित किया जायेगा।
9. उपरोक्त इकाईयों में उत्पादन प्रक्रिया में लगाये जाने वाले श्रमिकों के लिये यदि प्रचलित श्रम कानूनों के तहत संबंधित प्राधिकारी से प्रत्येक पारी वार अनुमति आवश्यक हो तो, वांछित अनुमति संबंधित विभाग/प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी।
10. श्रमिकों के आवागमन एवं माल के आवागमन के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक होने पर अनुमति संबंधित प्राधिकारी से नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
11. यदि आवेदक द्वारा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी का उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा एवं उक्त अनुमति प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

12. उक्त अनुमति लाकडाउन की अवधि प्रभावी रहने अथवा राज्य सरकार के आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक ही प्रभावी होगी। उक्त अनुमति को राज्य सरकार के आदेशों के अध्यक्षीन कभी भी प्रत्याहरित किया जा सकेगा।

प्राधिकृत अधिकारी

रीको लि०

.....

मोबाईल नं०.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, रीको लि० जयपुर।
3. जिला कलक्टर,।
4. जिला पुलिस अधीक्षक,।
5. संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट/इंसीडेंट कमांडर
6. संबंधित पुलिस थाना।
7. अध्यक्ष औद्योगिक क्षेत्र एशोसियेशन,
8. रक्षित पत्रावली।



फोन नं:-0141- 4593207

0141-4593201-06

राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(राज्य सरकार का उपक्रम)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

क्रमांक

दिनांक

औद्योगिक संचालन हेतु अनुमति पत्र

(राज्य स्तरीय)

कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 की धारा 2 की शक्तियों को प्रयुक्त करते हुये समस्त राज्य में दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक पूर्णत बंद (Lock Down) घोषित किया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपने आदेश दिनांक 24.03.2020 के द्वारा सम्पूर्ण देश में लाकडाउन की अवधि दिनांक 14.04.2020 तक घोषित की है परन्तु आवश्यक प्रकृति की कतिपय औद्योगिक इकाईयों को उक्त लाकडाउन की अवधि में अपनी गतिविधि जारी रखने की अनुमति प्रदान की गयी। उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 26.03.2020 जारी किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पूर्व आदेश की निरन्तरता में अनुगामी आदेश दिनांक 25.03.2020 व 27.03.2020 के द्वारा पूर्व में प्रदान की गयी छूट की श्रेणी में कुछ और श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों/सेवाओं को जोडा (Addendum) गया है।

गृह विभाग के आदेशों की निरन्तरता में उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.03.2020 एवं 30.03.2020 के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि(इकाई का नाम) जो कि (उत्पादन स्थल का पता) के द्वारा विनिर्माण/उत्पादन किये जाने वाला(उत्पाद का नाम) गृह मंत्रालय के उपरोक्त वर्णित आदेशों के तहत लाकडाउन से छूट प्राप्त उद्योग/गतिविधि की श्रेणी में आता है। उक्त आवेदक के छूट प्राप्त उद्योगों का संचालन एक से अधिक जिले में हो रहा है, जिसकी अनुमति प्रदान करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को

अधिकृत किया गया है। अतः गृह विभाग एवं उद्योग विभाग के उपरोक्त वर्णित आदेशों की अनुसरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा एकत्रित की गयी जानकारी के आधार पर यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि(इकाई का नाम) द्वारा निम्न जिलों में उत्पादन किया जा रहा है जो गृह मंत्रालय भारत सरकार व गृह विभाग, राजस्थान सरकार के उपरोक्त वर्णित आदेश में छूट प्राप्त की श्रेणी में आता है। संबंधित औद्योगिक इकाई का नाम व पता निम्नानुसार है:-

1. इकाई का नाम:-

2. उत्पादन स्थल वाले जिलों का नाम व स्थल का पता

(i)

(ii)

(iii)

3. विनिर्माण/उत्पादन किये जाने वाला(उत्पाद का नाम)

तदनुसार उक्त वर्णित औद्योगिक इकाई को अपनी उत्पादन प्रक्रिया को लाकडाउन की अवधि में जारी रखने की अनुमति एतद् द्वारा निम्नशर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है :-

1. आवेदक द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी की पूर्ण पालना की जायेगी।
2. आवेदक द्वारा उद्योग/गतिविधि संचालन हेतू न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों को औद्योगिक परिसर या इस हेतू विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में अथवा उनके निवास में रखना आवश्यक होगा।
3. ऐसे श्रमिकों/कार्मिकों के लिये उद्योग संचालन के समय मेडिकेटेड सेनेटाईजर, साबुन, मास्क एवं अन्य वांछनीय सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संबंधित औद्योगिक परिसर/स्थल को भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार पूर्णतया सेनेटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रतिदिन फ्यूमिगेशन कराया जायेगा।
5. यदि आवेदक द्वारा ऐसे श्रमिकों को अपने औद्योगिक परिसर या इस हेतू विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में रोका जाता है तो वह उनके रूकने, सोने एवं एवं दैनिक जीवन यापन का सभी इंतजाम स्वयं के खर्चे कर किया जायेगा।
6. आवेदक द्वारा कोविड-19 (कोरोना) वायरस संक्रमण को रोकने के लिये जारी भारत सरकार/राज्य सरकार की एडवाइजरी अनुसार अन्य सभी उपायों को अपनाया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा अपने औद्योगिक परिसर में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त भी एवं उनके लिये तैयार किये गये अनुमत परिसर में निर्धारित दूरी बनाकर सोशियल डिस्टेंस कन्सेप्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा एवं सम्पर्क रहित (Contactless) आदान प्रदान के प्रोटोकाल की भी पालना की जायेगी।

8. किसी भी श्रमिक/कार्मिक को कोविड-19 (कोरोना) वायरस संक्रमण के लक्षण दिखायी देने पर अविलम्ब जिला प्रशासन/चिकित्सा विभाग को सूचित किया जायेगा।
9. उपरोक्त इकाईयों में उत्पादन प्रक्रिया में लगाये जाने वाले श्रमिकों के लिये यदि प्रचलित श्रम कानूनों के तहत संबंधित प्राधिकारी से प्रत्येक पारी वार अनुमति आवश्यक हो तो, वांछित अनुमति संबंधित विभाग/प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी।
10. श्रमिकों के आवागमन एवं माल के आवागमन के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक होने पर अनुमति संबंधित प्राधिकारी से नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
11. यदि आवेदक द्वारा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी का उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा एवं उक्त अनुमति प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
12. उक्त अनुमति लाकडाउन की अवधि प्रभावी रहने अथवा राज्य सरकार के आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक ही प्रभावी होगी। उक्त अनुमति को राज्य सरकार के आदेशों के अध्याधीन कभी भी प्रत्याहरित किया जा सकेगा।

(पुखराज सैन)
सलाहकार (इन्फ्रा)
रीको मुख्यालय, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, रीको लिमिटेड, उद्योग भवन, जयपुर।
5. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर,।
7. जिला पुलिस अधीक्षक,।
8. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,।
9. पुलिस थाना।

सलाहकार (इन्फ्रा)

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र

क्रमांक

दिनांक

उद्योग संचालन हेतु अस्थायी आधार पर अनुमति पत्र

औद्योगिक संचालन हेतु अनुमति पत्र
(जिला स्तरीय)

कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 की धारा 2 की शक्तियों को प्रयुक्त करते हुये समस्त राज्य में दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक पूर्णत बंद (Lock Down) घोषित किया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपने आदेश दिनांक 24.03.2020 के द्वारा सम्पूर्ण देश में लाकडाउन की अवधि दिनांक 14.04.2020 तक घोषित की है परन्तु आवश्यक प्रकृति की कतिपय औद्योगिक इकाईयों को उक्त लाकडाउन की अवधि में अपनी गतिविधि जारी रखने की अनुमति प्रदान की गयी। उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 26.03.2020 जारी किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पूर्व आदेश की निरन्तरता में अनुगामी आदेश दिनांक 25.03.2020 व 27.03.2020 के द्वारा पूर्व में प्रदान की गयी छूट की श्रेणी में कुछ और श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों/सेवाओं को जोडा (Addendum) गया है।

गृह विभाग के आदेशों की निरन्तरता में उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.03.2020 एवं 30.03.2020 के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि ...
.....(इकाई का नाम) जो कि (उत्पादन स्थल का पता)
..... के द्वारा विनिर्माण/उत्पादन किये जाने वाला(उत्पाद का नाम) गृह मंत्रालय के उपरोक्त वर्णित आदेशों के तहत लाकडाउन से छूट प्राप्त उद्योग/गतिविधि की श्रेणी में आता है। गृह विभाग के आदेशों की अनुसरण में उक्त वर्णित औद्योगिक इकाई को अपनी उत्पादन प्रक्रिया को लाकडाउन की अवधि में जारी रखने की अनुमति एतद् द्वारा निम्नशर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

1. आवेदक द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी की पूर्ण पालना की जायेगी।

2. आवेदक द्वारा उद्योग/गतिविधि संचालन हेतू न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों को औद्योगिक परिसर या इस हेतू विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में अथवा उनके निवास में रखना आवश्यक होगा।
3. ऐसे श्रमिकों/कार्मिकों के लिये उद्योग संचालन के समय मेडिकेटेड सेनेटाईजर, साबुन, मास्क एवं अन्य वांछनीय सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संबंधित औद्योगिक परिसर/स्थल को भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार पूर्णतया सेनेटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रतिदिन फ्यूमिगेशन कराया जायेगा।
5. यदि आवेदक द्वारा ऐसे श्रमिकों को अपने औद्योगिक परिसर या इस हेतू विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में रोका जाता है तो वह उनके रुकने, सोने एवं एवं दैनिक जीवन यापन का सभी इंतजाम स्वयं के खर्चे कर किया जायेगा।
6. आवेदक द्वारा कोविड-19 (कोरोना) वायरस संक्रमण को रोकने के लिये जारी भारत सरकार/राज्य सरकार की एडवाइजरी अनुसार अन्य सभी उपायों को अपनाया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा अपने औद्योगिक परिसर में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त भी एवं उनके लिये तैयार किये गये अनुमत परिसर में निर्धारित दूरी बनाकर सोशियल डिस्टेंस कन्सेप्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा एवं सम्पर्क रहित (Contactless) आदान प्रदान के प्रोटोकाल की भी पालना की जायेगी।
8. किसी भी श्रमिक/कार्मिक को कोविड-19 (कोरोना) वायरस संक्रमण के लक्षण दिखायी देने पर अविलम्ब जिला प्रशासन/चिकित्सा विभाग को सूचित किया जायेगा।
9. उपरोक्त इकाईयों में उत्पादन प्रक्रिया में लगाये जाने वाले श्रमिकों के लिये यदि प्रचलित श्रम कानूनों के तहत संबंधित प्राधिकारी से प्रत्येक पारी वार अनुमति आवश्यक हो तो, वांछित अनुमति संबंधित विभाग/प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी।
10. श्रमिकों के आवागमन एवं माल के आवागमन के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक होने पर अनुमति संबंधित प्राधिकारी से नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
11. यदि आवेदक द्वारा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी का उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा एवं उक्त अनुमति प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
12. उक्त अनुमति लाकडाउन की अवधि प्रभावी रहने अथवा राज्य सरकार के आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक ही प्रभावी होगी। उक्त अनुमति को राज्य सरकार के आदेशों के अध्यधीन कभी भी प्रत्याहरित किया जा सकेगा।

प्राधिकृत अधिकारी
जिला उद्योग केन्द्र
मोबाईल नं0.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, रीको लि० जयपुर।
3. जिला कलक्टर,।
4. जिला पुलिस अधीक्षक,।
5. संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट/इंसीडेंट कमांडर
6. संबंधित पुलिस थाना।
7. अध्यक्ष औद्योगिक क्षेत्र एशोसियेशन,
8. रक्षित पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी
जिला उद्योग केन्द्र

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं विशिष्ट शासन सचिव, सीएसआर, राजस्थान
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

क्रमांक

दिनांक

औद्योगिक संचालन हेतु अनुमति पत्र

(राज्य स्तरीय)

कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 की धारा 2 की शक्तियों को प्रयुक्त करते हुये समस्त राज्य में दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक पूर्णत बंद (Lock Down) घोषित किया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपने आदेश दिनांक 24.03.2020 के द्वारा सम्पूर्ण देश में लाकडाउन की अवधि दिनांक 14.04.2020 तक घोषित की है परन्तु आवश्यक प्रकृति की कतिपय औद्योगिक इकाईयों को उक्त लाकडाउन की अवधि में अपनी गतिविधि जारी रखने की अनुमति प्रदान की गयी। उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 26.03.2020 जारी किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पूर्व आदेश की निरन्तरता में अनुगामी आदेश दिनांक 25.03.2020 व 27.03.2020 के द्वारा पूर्व में प्रदान की गयी छूट की श्रेणी में कुछ और श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों/सेवाओं को जोडा (Addendum) गया है।

गृह विभाग के आदेशों की निरन्तरता में उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.03.2020 एवं 30.03.2020 के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि(इकाई का नाम) जो कि (उत्पादन स्थल का पता) के द्वारा विनिर्माण/उत्पादन किये जाने वाला(उत्पाद का नाम) गृह मंत्रालय के उपरोक्त वर्णित आदेशों के तहत लाकडाउन से छूट प्राप्त उद्योग/गतिविधि की श्रेणी में आता है। उक्त आवेदक के छूट प्राप्त उद्योगों का संचालन एक से अधिक जिले में हो रहा है, जिसकी अनुमति प्रदान करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया गया है। अतः गृह विभाग एवं उद्योग विभाग के उपरोक्त वर्णित आदेशों की अनुसरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा एकत्रित की गयी जानकारी के आधार पर यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि(इकाई का नाम) द्वारा निम्न जिलों में उत्पादन किया जा

रहा है जो गृह विभाग के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 26.03.2020 के क्रम 5 में वर्णित अपवादों की श्रेणी में आता है। संबंधित औद्योगिक इकाई का नाम व पता निम्नानुसार है:-

1. इकाई का नाम:-

2. उत्पादन स्थल वाले जिलों का नाम व स्थल का पता

(i)

(ii)

(iii)

3. विनिर्माण/उत्पादन किये जाने वाला(उत्पाद का नाम)

तदनुसार उक्त वर्णित औद्योगिक इकाई को अपनी उत्पादन प्रक्रिया को लाकडाउन की अवधि में जारी रखने की अनुमति एतद् द्वारा निम्नशर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है :-

1. आवेदक द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी की पूर्ण पालना की जायेगी।
2. आवेदक द्वारा उद्योग/गतिविधि संचालन हेतू न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों को औद्योगिक परिसर या इस हेतू विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में अथवा उनके निवास में रखना आवश्यक होगा।
3. ऐसे श्रमिकों/कार्मिकों के लिये उद्योग संचालन के समय मेडिकेटेड सेनेटाईजर, साबुन, मास्क एवं अन्य वांछनीय सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संबंधित औद्योगिक परिसर/स्थल को भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार पूर्णतया सेनेटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रतिदिन फ्यूमिगेशन कराया जायेगा।
5. यदि आवेदक द्वारा ऐसे श्रमिकों को अपने औद्योगिक परिसर या इस हेतू विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर में रोका जाता है तो वह उनके रूकने, सोने एवं एवं दैनिक जीवन यापन का सभी इंतजाम स्वयं के खर्चे कर किया जायेगा।
6. आवेदक द्वारा कोविड-19 (कोरोना) वायरस संक्रमण को रोकने के लिये जारी भारत सरकार/राज्य सरकार की एडवाइजरी अनुसार अन्य सभी उपायों को अपनाया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा अपने औद्योगिक परिसर में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त भी एवं उनके लिये तैयार किये गये अनुमत परिसर में निर्धारित दूरी बनाकर सोशियल डिस्टेंस कन्सेप्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा एवं सम्पर्क रहित (Contactless) आदान प्रदान के प्रोटोकाल की भी पालना की जायेगी।
8. किसी भी श्रमिक/कार्मिक को कोविड-19 (कोरोना) वायरस संक्रमण के लक्षण दिखायी देने पर अविलम्ब जिला प्रशासन/चिकित्सा विभाग को सूचित किया जायेगा।
9. उपरोक्त इकाईयों में उत्पादन प्रक्रिया में लगाये जाने वाले श्रमिकों के लिये यदि प्रचलित श्रम कानूनों के तहत संबंधित प्राधिकारी से प्रत्येक पारी वार अनुमति आवश्यक हो तो, वांछित अनुमति संबंधित विभाग/प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी।

10. श्रमिकों के आवागमन एवं माल के आवागमन के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक होने पर अनुमति संबंधित प्राधिकारी से नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
11. यदि आवेदक द्वारा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा उद्योग संचालन के समय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी का उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा एवं उक्त अनुमति प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
12. उक्त अनुमति लाकडाउन की अवधि प्रभावी रहने अथवा राज्य सरकार के आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक ही प्रभावी होगी। उक्त अनुमति को राज्य सरकार के आदेशों के अध्यक्षीन कभी भी प्रत्याहरित किया जा सकेगा।

(अरविन्द्र लढढा)
अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. प्रबन्ध निदेशक, रीको लिमिटेड, उद्योग भवन, जयपुर।
5. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर,।
7. जिला पुलिस अधीक्षक,।
8. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,।
9. पुलिस थाना।

संयुक्त निदेशक

(इकाई/उद्यम के लेटरहेड/कम्प्यूटरजनित लेटरहेड पर)

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लाकडाउन की अवधि में छूट प्राप्त आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के विनिर्माण एवं आपूर्ति में कार्यरत इकाई/गतिविधि में कार्यरत श्रमिकों/कार्मिकों को आवागमन हेतु पास जारी करने हेतु आवेदन पत्र

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,/ ईकाई प्रभारी रीको,

1. आवेदक का नाम –
2. पिता का नाम –
3. पता –
4. मोबाईल नम्बर –
5. परिचय पत्र (कोई भी) का नम्बर
6. इकाई का नाम जिसमें कार्यरत है –
7. इकाई का पता –
8. इकाई का उत्पाद/सेवा –
9. इकाई में नियोजित पद –
10. आवागमन का अल्पतम रूट–

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जानकारी व सूचना रिकार्ड अनुसार सही है।

हस्ताक्षर

नियोक्ता का प्रतिनिधि

मय नाम व पदनाम

प्रपत्र-2

कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,/ईकाई प्रभारी, रीको,.....

लॉकडाउन से मुक्त इकाई / गतिविधि में कार्यरत श्रमिकों/कार्मिकों को आवागमन हेतु पास

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु०
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी
..... वर्तमान में मै०
..... में कार्यरत है। यह
इकाई/उद्यम के उत्पादन का कार्य कर रही है। इस
इकाई/गतिविधि को गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-1
दिनांक 24.03.2020 सपटित आदेश दिनांक 25.03.2020 व 27.03.2020 व उसके अनुक्रम में
जारी गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक:-33(2)गृह-9/2019 दिनांक
26.03.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त निर्देशों के क्रम में लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है तथा
कार्यरत रहने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः श्री/श्रीमति/कु० को मै०
.....इकाई में कार्य करने हेतु उसके निवास अथवा
लाकडाउन की अवधि में विशेष रूप से उपयोग में लिये जाने वाले अनुमत परिसर से
कार्यस्थल तक तथा कार्यस्थल से घर तक आने जाने हेतु अनुमति दिए जाने के लिए यह
पास जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी मय सील